मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 30 जुलाई, 2007 (श्रावण 8, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

(1) श्री भारत सिंह चौहान, भूतपूर्व संसद सदस्य, तथा
(2) श्री मेहमान शाह उइके, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच (24) , दिनांक 14 जून, 2007,
(ख) क्रमांक ए-3-195-2005-1-पांच (27), दिनांक 5 जुलाई, 2007,
(ग) क्रमांक एफ-ए-3-27-07-1-पांच (12), दिनांक 1 अप्रैल 2007 ; तथा
(घ) क्रमांक एफ-ए-3-27-07-1-पांच (23), दिनांक 8 मई, 2007,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2006-2007 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(3) कुंवर विजय शाह, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, भोपाल के राजाभोज विमानतल के विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कम दर से दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, सारणी स्थित विद्युत पावर हाउस की यूनिटें बंद होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवीसिंह पटेल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्टम् प्रतिवेदन तथा सप्तम् एवं अष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम धाना से सगोनी एवं धाना से इमलिया तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम महलपुरा लिंगा के बीच धमनी नदी पर पुल बनाये जाने,
(ग) ग्राम गोवर के पास नाला पर पुल बनाये जाने,
(घ) ग्राम कपूरी के उप स्वा. केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(ङ) ग्राम मोहद के उप स्वा. केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(च) ग्राम मुराच के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,
(छ) ग्राम झामर में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,
(ज) ग्राम मुर्गाखेड़ा के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,
(झ) ग्राम निवारी के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,
(ञ) ग्राम उमरिया के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने, तथा
(ट) ग्राम रमपुरा से एन. एच.-12 तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम बरोली से गोकुल तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम दीखतपुर में पशु औषधालय का भवन बनाये जाने,
(ग) ग्राम इमालिया दुल्हैनी के बीच आसन नदी पर रपटा बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम नहरावली का वेहड़ कटाव रोके जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बसोवा से दोन तक मार्ग बनाये जाने,

(4) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम चरई पेंचव्हेली समूल जल प्रदाय योजना का बांध निर्माण कराये जाने,

(5) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पिपलोदी, चाटुखैड़ा, किला अमरगढ़ एवं भियापुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) ग्राम सेमलापुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ग) जिला मुख्यालय राजगढ़ में नि:शक्त जनों (विकलांग) के लिए छात्रावास/रैन बसेरा का निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम काचरी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम पिपलोंदी से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम खिलचीपुर, पपडेल, भूमरिया से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(छ) जिला मुख्यालय में आई.टी.आई. प्रारम्भ किये जाने, तथा
(ज) ग्राम पिपलोदी में हाई स्कूल प्रारम्भ किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तुकोजीराव पवार,राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल विधेयक,2007 (क्रमांक 20 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 29 जुलाई, 2007